कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निम्नलिखित 03 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन क्षेत्रों के सम्मुख अंकित तिथियों को समाप्त हो जाने के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 कराने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम नियत किया गया है:-

1-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	कार्यकाल
1-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	1-गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक	16 नवम्बर, 2016
2-श्री अरूण पाठक	2-कानपुर खण्ड स्नातक	16 नवम्बर, 2016
3-डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त'	3-बरेली-मुरादाबाद खण्ड स्नातक	16 नवम्बर, 2016

2-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	कार्यकाल
1-श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी	1-इलाहाबाद-झाँसी खण्ड शिक्षक	16 नवम्बर, 2016
2-श्री राज बहादुर चंदेल	2-कानपुर खण्ड शिक्षक	16 नवम्बर, 2016

:: निर्वाचन का कार्यक्रम ::

(1)	निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक-	10 जनवरी, 2017 (मंगलवार)
(2)	नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-	17 जनवरी, 2017 (मंगलवार)
(3)	नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-	18 जनवरी, 2017 (बुद्धवार)
(4)	नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-	20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार)
(5)	मतदान का दिनांक-	03 फरवरी, 2017 (शुक्रवार)
(6)	मतदान का समय	पूर्वाहन 8.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक
(7)	मतगणना का दिनांक-	06 फरवरी, 2017 (सोमवार)
(8)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा	09 फरवरी, 2017 (बृहस्पतिवार)

उक्त विधान परिषद निर्वाचन के संदर्भ में प्रदेश के 39 जिलों, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी तथा ललितपुर में निर्वाचन होने हैं। आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के सुसंगत उपबंध तात्कालिक प्रभाव से भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-322/LET/ECI/FUN/C-G&T/BIEN दिनांक 04 जनवरी, 2017 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त जनपदों में लागू हो गये है।

2 भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या-ECI/PN/2/2017 दिनॉक 04 जनवरी, 2017 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

भवदीय,

लखनऊ:

दिनांक 04.01.2017

(टी0 वेंकटेश)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:12(1)/सीईओ-2 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियां सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(2) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।

(4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।

(6) मण्डलायुक्त, गोरखपुर, बरेली, झांसी, तथा कानपुर।

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी तथा ललितपुर।

(8) अध्यक्ष/महामंत्री , समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(रत्नेश सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी।